छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 01–01/2024/एक/6 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर, 2024

प्रति

समस्त भारसाधक सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :– शासकीय सेवकों के पदस्थापना/स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने संबंध में।

—000—

राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से समय–समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों का अन्यत्र पदस्थापना अथवा स्थानांतरित करते हुए अन्य कार्यालय में नवीन पदस्थापना की जाती है। यह बात देखने में आया है कि अन्यत्र पदस्थापना अथवा स्थानांतरण के फलस्वरूप प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी अपने नवीन पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने के बजाय उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। स्थानांतरण के ऐसे कई मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी को स्थगन देते हैं। प्रायः उस अवधि में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं। साथ ही उस अवधि के लिए वेतन, भत्ते की मांग करते हैं, जबकि वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। स्थानांतरण एक सतत् प्रक्रिया है। इसके पीछे शासन की यह मंशा रहती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनायें सुचारू रूप से संचालित हो सके, तथा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अभाव में योजनाएं प्रभावित न हो। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नियोजित हो जाता है तो स्थानांतरण की प्रक्रिया सेवा की शर्तों में अंतर्निहित हो जाती है, जब तक कि सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रावधानों के तहत इसे विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। सेवा की ऐसी शर्तों और नियमों के तहत, किसी कर्मचारी को अपने वर्तमान पदस्थापना स्थान से भारमुक्त होने के बाद अनुपस्थित रहने या स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

यद्यपि अपने स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक को स्थानांतरित स्थान पर उपस्थित होने तथा स्थानांतरण के विरूद्ध अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए नियमों के तहत् उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है।

क्रमशः ...2.

NPG.NEWS

2/ शासकीय सेवकों के स्थानांतरण में मुख्य रूप से यह उद्देश्य निहित होता है कि नवीन स्थानों पर कुछ महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरना है। जिससे राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनायें सुचारू रूप से संचालित हो सके। स्थानांतरित शासकीय सेवक स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो स्थानांतरित पद रिक्त रहेगी और ऐसे में पूरी क्षमता के साथ उत्कृष्ठ सेवा प्रदान करने का लक्ष्य विफल हो जाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते है :–

(1) स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकक्षीय भारमुक्त करने के आदेश दिए जाए तथा स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(2) शासकीय सेवकों द्वारा 07 दिवस के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की जाए और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित व्यक्ति के विरुद्ध **"ब्रेक–इन–सर्विस"** की कार्यवाही की जाए।

NPG.NEWS

(3) स्थानांतरित शासकीय सेवक यदि 07 दिनों से अधिक अवधि के लिए लघुकृत अवकाश लेता है तो उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जाती है अथवा शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति मानकर इसे **"डाईज–नॉन"** किया जाए।

(4) स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा।

(5) यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर–अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर–अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इमबैलेंस) है, उसे संतुलित (बैलेंस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए।

क्रमशः ...3.

(6) अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्यमुक्त न किया जाए, जब तक कि उसका एवजीदार कार्य पर उपस्थित न हो जाए, तथापि अत्यावश्यक परिस्थितियों में यदि संबंधित कार्यालय में दो तिहाई पद यदि भरे हों तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

NPG NEWS

(7) यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए निवास-स्थान में परिवर्तन के बिना स्थानांतरण हुआ है, तो शासकीय सेवक के कार्यमुक्त पश्चात् एक दिन से अधिक पदग्रहणकाल की पात्रता नहीं होगी। स्थान से तात्पर्य नगरपालिका या नगर निगम की सीमा से आने वाले क्षेत्र से है, जिसमें उपनगरीय नगरपालिकायें, अधिसूचित क्षेत्र, केन्टोनमेन्ट और उसी नगर-पालिका के आस-पास का क्षेत्र सम्मिलित है।

स्थानांतरण के फलस्वरूप मुख्यालय परिवर्तन होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय दूरी के आधार पर पदग्रहण काल की सीमा निर्धारित करने के लिए सक्षम है, तथापि यह सीमा किसी भी स्थिति में एक सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा ओदशानुसार,

25.11.24

(अविनाश चम्पावत)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 01-01/2024/एक/6 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
4. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमशः 4

5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
9. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
11. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
12. समस्त जिला कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
14. संचालक, जनसम्पर्क, नवा रायपुर अटल नगर,
15. राज्य विज्ञान सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट https://gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग